Hemant Gera
I.A.S.

Managing Director
Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd.
CIN - U40109RJ2000SGC016482
Vidyut Bhawan, Panchsheel, Ajmer - 305004
Ph. 0145 - 2644551 (O), 2433538 (R),2644525 (F)
E-mail : avvnl0145@yahoo.com, web : www.avvnl.com

No. AVVNL/MD/Ajmer Discom//M&P/D. 3786 Dated:- 21/7/2015

कार्यालय आदेश

यह देखा जा रहा है, कि रात्रि व दिन के विद्युत आपूर्ति भार में बड़ा अन्तर रहता है। रात्रि के दिन लोड को लगभग एक समान करने के उद्देश्य से कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति चार ब्लॉक्स ए.बी.सी एवं डी में दिये जाने व प्रति सप्ताह दिन व रात्रि के क्रम में बदलने के निर्देश दिये गये हैं। इन आदेशों की पालना सभी स्तरों पर लगातार किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये सभी संबंधित अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. सभी 11 केवी फीडरों को ग्रामीण क्षेत्र में ए.बी.सी एवं डी ब्लॉक कम में इस प्रकार चिन्हित किया जावे कि ग्रिड में समान विद्युत भार हो सके। इसके लिये अधिशाषी अभियन्ता (पवस) अपने क्षेत्र के लिये जिम्मेदार होंगे व प्रत्येक 33 के.वी. सब–स्टेशन पर स्थित नोटिस बोर्ड पर इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं की जानकारी के लिये प्रदर्शित करावेंगे।
2. अधिशाषी अभियन्ता के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह दिन व रात्रि के बदलते क्रम में कृषि फीडरों पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित न करने, ब्लॉक समय से कम या अधिक विद्युत आपूर्ति करने, सिंगल फेज सप्लाई यथोचित न देने के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता प्राथमिक तौर पर सीधे जिम्मेदार होंगे।
3. अधिशाषी अभियन्ता प्रति सप्ताह चार कार्य दिवसों को अपने अधिनस्थ क्षेत्र में उपखण्डों का दौरा करते समय कम से कम एक 33 के.वी. सब–स्टेशन का औचक निरीक्षण करेंगे व यह भी देखेंगे कि वहां निर्देशों के अनुरूप ब्लॉक प्रति सप्ताह बदले जा रहे हैं या नही। इस बाबत 33 के.वी. सब–स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई पुस्तिका/रजिस्टर में स्थिति का इंद्राज करेगें व इसकी लिखित रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता को ई–मेल या हार्ड प्रति में प्रस्तुत करेंगे।
4. इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता व संभागीय मुख्य अभियन्ता भी सप्ताह में दो उपखण्डों का निरीक्षण करने के दौरान उस उपखण्ड के एक 33 के.वी. सब–स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे। सब–स्टेशन के रखरखाव के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सहित प्रत्येक कृषि फीडर पर ए.बी.सी एवं डी ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं इसकी जांच करेंगे व अवहेलना पाये जाने पर संबंधित दोषी कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी अभियन्ता व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।
5. निगम स्तर पर प्रतिदिन प्रबन्ध निदेशक के प्रावेधिक सहायक द्वारा, प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रत्येक जिले में फीडर मैनेजर को दो 33 केवी सब–स्टेशनों की जांच हेतु एस.एम.एस या ई–मेल द्वारा प्रातः 8 बजे सूचित करेगे, जिनके सभी फीडरों की सी.एम.आर.आई फीडर मैनेजर द्वारा उसी दिन रिकॉर्ड की जाकर सांय 6 बजे तक कम्प्यूटरीकृत फीडरवार रिपोर्ट प्रबंध निदेशक के प्रावेधिक सहायक व संभागीय मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता को भेजी जावेगी। फीडर मैनेजर द्वारा रिपोर्ट में सब–स्टेशन पर पायी जाने वाली कमियों के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति ब्लॉक को साप्ताहिक दिन व रात्रि के क्रम में न बदले जाने, निर्धारित समय से कम या अधिक समय के लिये तीन फेस

SE (TD) AVVNL AJMER
R. R. No. 1109 D 23 7 15

XEN (TD) 23/7/2015

6. या सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति करने, सिंगल फेस समय से सामान्य से अधिक विद्युत भार रहने के बारे में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम सहित रिपोर्ट मय कवरिंग हस्ताक्षरित नोट भी ई.मेल द्वारा भेजा जावेगा।

7. संभागीय मुख्य अभियन्ता प्रतिदिन ऐसी सभी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर आगामी दिवस पर 11 बजे तक प्रबंध निदेशक के प्रावेधिक सहायक को कार्यवाही रिपोर्ट भेजेंगे।

8. आदतन लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंध निदेशक के प्रावेधिक सहायक/प्रबन्ध निदेशक को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को सूचित करेंगे।

9. आदतन लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अतिरिक्त उन्हें पदस्थापित जिले से अन्यत्र भी स्थानान्तरित किया जावेगा।

10. सभी फीडर मैनेजरों का प्रशासनिक नियंत्रण पवस के अधीक्षण अभियन्ता के स्थान पर तुरन्त प्रभाव से मीटर व प्रोटेक्शन विंग के संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियन्ता के अधीनस्थ किया जाता हैं तथा उनकी वित्तीय व अन्य सामान्य आवश्यकताओं के लिये पूर्व की भांति पवस के वृत लेखाधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेंगे। वाहन कर्मचारी व अन्य सामग्री उन्हें पुव की भॉति यथावत फीडर मैनेजर के पास ही रहेगी। इस बाबत् प्रशासनिक आदेश सचिव प्रशासन जारी करेंगे।

11. सभागीय मुख्य अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यवाहियों की क्रियान्विति को अपने अधिनस्थ क्षेत्र में दिनांक 15 जुलाई, 2015 से किया जाना सुनिश्चित करेंगे व व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिदिन मॉनिटरिंग व समीक्षा कर प्रबंध निदेशक के प्रावेधिक सहायक को अवगत करावेंगे।

12. मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी), प्रत्येक 220 केवी जीएसएसवार विद्युत भार की प्रत्येक 15 मिनट के ब्लॉक की निगरानी की व्यवस्था करेंगे व किसी 220 के.वी. जीएसएस पर विद्युत भार की समतुल्यता या लोड पूर्व में आंकलित भार के अनुरूप न पाये जावे तो इनके नियंत्रण कक्ष द्वारा संबंधित मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियंता (मीटर्स) अजमेर को एसएमएस व ई–मेल द्वारा सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। आरडीपीपीसी प्रतिदिन 220 केवी जीएसएस वार प्रत्येक 15 मिनट के विद्युत भार संबंधित सूचना का संकलन कर सभी सभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स), प्रबंध निदेशक के प्रावेधिक सहायक व प्रबन्ध निदेशक को आगामी दिवस को 11 बजे तक ई–मेल द्वारा सूचित करेंगे व गम्भीर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में स्वयं संबधित अधिकारियों से वार्ता कर अध्यक्ष डिस्कॉम्स को की गई कार्यवाही से अवगत करायेंगे

(हेमन्त गेरा)
प्रबन्ध निदेशक
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (वित्त), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
2. संम्भागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
3. मुख्य लेखाधिकारी (ए.टी.बी./आर.एण्ड सी./आई.ए.) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर
4. सचिव (प्रशासन) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/ए.डी.सी./ए.सी.सी./ आई.टी../एम.एण्ड पी./एम.एम) अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर/नागौर/भीलवाडा /उदयपुर/राजसमन्द/चितौड/बांसवाडा/ झुंझुनू/सीकर/डूगंरपुर/ प्रतापगढ को अधीनस्थ समस्त अधिशाषी/ सहायक अभियन्ताओं को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
6. लेखाधिकारी (पवस/ए.डी.सी./ए.सी.सी.) अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर/नागौर/भीलवाडा/ उदयपुर/राजसमन्द/चितौड/बांसवाडा/ झुंझुनू/सीकर/डूगंरपुर/ प्रतापगढ
7. प्रावैधिक सहायक, प्रबंधनिदेशक अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर

प्रबन्ध निदेशक